न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :635/2012 (अपील)

उनवान

1. दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 रामकृष्ण शर्मा जाति ब्राहमण निवासी गणेशनगर कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम नांगलहेडी,तहसील सांगोद जिला कोटा

2. .राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा

रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री हेमराज मीणा (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री जगदीश नन्दवाना (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट न01की ओर)

अपील बनाराजगी इन्तकाल न0 99 दिनांक 16.05.1993 न्यायालय तहसीलदार दीगोद जिला कोटा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक : 18.07.2024

.1 अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दीगोद के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 16.05.1993 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत पेश की गई ।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

.3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है अपीलाण्ट की परदादी स्व.0 श्रीमति भूली बेवा रामचन्द्र जाति ब्राहमण के कब्जे व खाते की आराजी ख0न0 191 की 9 बीघा 16 बिस्वा, 241 की 19 बिस्वा, 369 की 12 बीघा 14 बिस्वा, तथा ख0न0 398 की 9 बीघा 4 बिस्वा कुल 4 किता की 32 बीघा 13 बिस्वा एवं ख0न0 सं0 218 की 1 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सुहाना तहसील दीगोद

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

में स्थित है। भू प्रबन्ध के बाद उक्त खसरा नम्बरान के नये नम्बर 355, 408 ,414 ,460, 534, कुल 5 किता रकबा 5.21 है0 कायम किये गये है। अपीलाण्ट का पारिवारिक शजरा निम्न प्रकार है:—

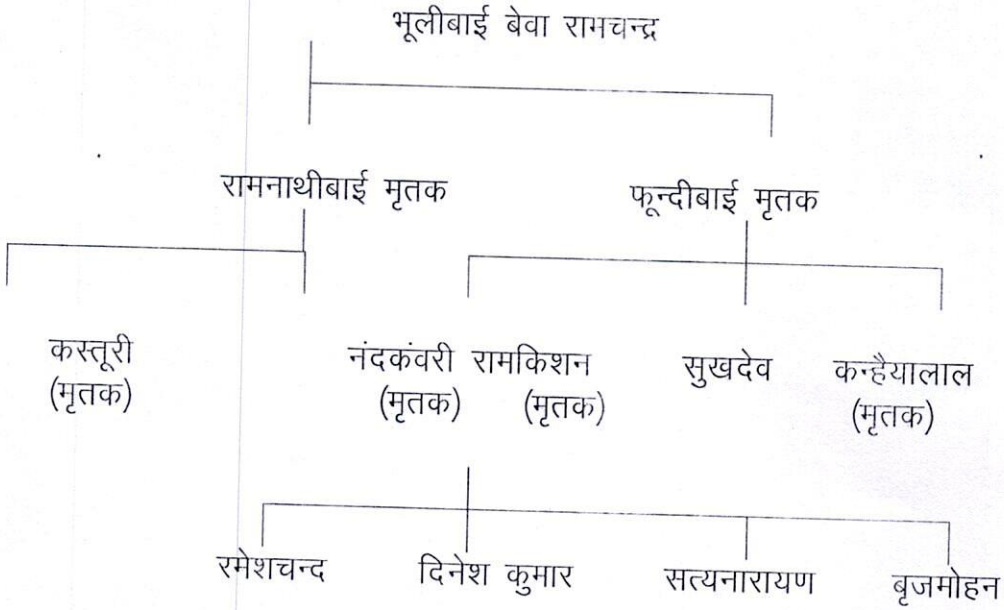

खातेदार भूली बेवा रामचन्द्र की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजीयात को उसके वारिसान उसकी दोनो पुत्रिया रामनाथी बाई एवं फून्दी बाई के खाते में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनी चाहिये थी लेकिन रामनाथी बाई ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके उक्त सम्पूर्ण आराजियात को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया। रेस्पोडेन्ट न01 रामनाथी बाई के देवर का लडका है ,उसके एक फर्जी व कूटररचित वसीयत के आधार पर रामनाथीबाई का अपने आपको दत्तक पुत्र बताकर उक्त आराजीयात को रामनाथी बाई की मृत्यु उपरोन्त अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया गया और वर्तमान में उक्त सम्पूर्ण आराजियात पर रेस्पोडेन्ट न01 का ही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है, जबकि अपीलाण्ट भी मृतक भूलीबाई बेवा का कायम मुकाम है और उसका प्रपोत्र है। रेस्पोडेन्ट न01 को उक्त आराजी में कोई हक या अधिकार नहीं है। मृतक रामनाथी बाई को भी सम्पूर्ण आराजी की वसीयत रेस्पो0 न01 के पक्ष में करने का कोई कानूनी अधिकार ही नही, क्योकि उक्त आराजी पुश्तैनी है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना मौके व कब्जे तथा वारिसान की जांच किये हुये बिना ही इन्तकाल तस्दीक करने मे त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजो की कोई जांच किये बिना ही चुपचाप इन्तकाल तस्दीक किया गया है, एवं अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी गई हैं।अत अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय नामान्तकरण संख्या 99 दिनांक 16.05.1993 निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है भूलीबाई के सजरा का अवलोकन करे। इस सजरे के अनुसार सिर्फ दिनेश ने अपील पेश की बाकि ने किसी ने अपील पेश नहीं की। अपील में किसी को पक्षकार नही बनाया। इन्तकाल मे केवल रामनाथी के नाम जमीन आई है, फून्दीबाई के नाम ही नही आई। दिनेश फून्दीबाई का पोता है। इन्तकाल दिनांक 22.03.1959

अति. जिला कलक्टर
कोटा

की कोई अपील नहीं की ना ही इन्तकाल निरस्त हुआ जिससे रामनाथी बाई के नाम खातेदारी में दर्ज हुआ था। जो वर्तमान में भी प्रभावी हैं जिसे अपीलण्ट द्वारा इन्तकाल न0 99 के विरूद्ध अपील पेश की गई है इसका अपीलाण्ट को कोई अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड वसीयत से इन्तकाल तस्दीक किया रजिस्टर्ड वसीयत नामा को सिविल कोर्ट चेलेन्स करे। अतः रजिस्टर्ड वसीयत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इन्तकाल से कोई अधिकार पैदा नहीं होते है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

.5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील नामा0 संख्या 99 आदेश दिनांक 16.5.1993 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 24.12.2012 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुए है। विलम्ब से पेश करने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी पटवारी हल्का के बताने पर दिनांक 28.11.2012 को हुई है। विलम्ब से अपील पेश करने के सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

6 वकील अपीलाण्ट का बहस मे कथन रहा है कि खातेदार भूली बेवा रामचन्द्र की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजीयात को उसके वारिसान उसकी दोनो पुत्रिया रामनाथी बाई एवं फून्दी बाई के खाते में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनी चाहिये थी लेकिन रामनाथी बाई ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके उक्त सम्पूर्ण आराजियात को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया। रेस्पोडेन्ट न01 रामनाथी बाई के देवर का लडका है ,उसके एक फर्जी व कूटररचित वसीयत के आधार पर रामनाथीबाई का अपने आपको दत्तक पुत्र बताकर उक्त आराजीयात को रामनाथी बाई की मृत्यु उपरोन्त अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया गया और वर्तमान में उक्त सम्पूर्ण आराजियात पर रेस्पोडेन्ट न01 का ही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है, जब कि अपीलाण्ट भी मृतक भूलीबाई बेवा का कायम मुकाम है और उसका प्रपोत्र है। रेस्पोडेन्ट न01 को उक्त आराजी में कोई हक या अधिकार नहीं है। मृतक रामनाथी बाई को भी सम्पूर्ण आराजी की वसीयत रेस्पो0 न01 के पक्ष में करने का कोई कानूनी अधिकार ही नही, क्योकि उक्त आराजी पुश्तैनी है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना मौके व कब्जे तथा वारिसान की जांच किये हुये बिना ही इन्तकाल तस्दीक करने मे त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजो की कोई जांच किये बिना ही चुपचाप इन्तकाल तस्दीक किया गया है, एवं अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी गई हैं इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है कि भूलीबाई के सजरा का अवलोकन करे। इस सजरे के अनुसार सिर्फ दिनेश ने अपील पेश की बाकि ने किसी ने अपील पेश नहीं की। अपील में किसी को पक्षकार नही बनाया। इन्तकाल मे केवल रामनाथी के नाम जमीन आई है, फून्दीबाई के नाम ही नही आई। दिनेश फून्दीबाई का पोता है। इन्तकाल 22.03.1959 की कोई अपील नहीं की ना ही इन्तकाल निरस्त हुआ अधिनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड वसीयत से इन्ताकाल तस्दीक किया । रजिस्टर्ड वसीयत नामा को सिविल कोर्ट में चेलेन्ज करे। अपील में अपीलाण्ट और रेस्पोडेन्ट

अति. जिला कलक्टर

द्वारा अपने– अपने पक्ष में दस्तावेज पेश किये वसीयत को आधार बनाया है। क्योकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दीगोद ने वाके ग्राम सुहाना इन्तकाल न0 99 दिनांक 16.05.1993 तस्दीक किया है, वह रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर तस्दीक किया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस दिये गये तर्क से न्यायालय पूर्णतया सहमत है। अतः अधिनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक 16.05.1993 में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अपील में पर्याप्त आधार नहीं होने से अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है।

7 परिणामस्वरूपः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

8. . निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हंस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा